भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 128*

(11 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों में शौचालय

128*. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित आवासों में कोई शौचालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिन्हित किए गए ऐसे आवासों की संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले आवासों के लिए तेलंगाना राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(ङ) उक्त आवासों में शौचालयों की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

पीएमएवाई-जी के तहत घरों में शौचालयों के निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. *128 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, शौचालय का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आवास को शौचालय के निर्माण के उपरांत ही पूर्ण माना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) या किसी अन्य विशिष्ट वित्तपोषण स्रोत से वित्तपोषण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण के लिए 12000 रु. की सहायता का प्रावधान किया गया है।

तेलंगाना राज्य के लिए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान 247.88 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 01.04.2016 से पीएमएवाई-जी को शुरू किया गया था। तेंलगाना राज्य के लिए पीएमएवाई-जी के तहत वर्ष 2016-17 की पहली किस्त के रूप में 190.79 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। राज्य के लिए इसके बाद कोई राशि जारी नहीं की गई है। राज्य ने पीएमएवाई-जी के एमआईएस, आवाससॉफ्ट, जो प्रगति दर्ज करने का एकमात्र विकल्प है, पर न तो वास्तविक प्रगति दर्शाई है और न ही राज्य से अब तक उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, राज्य से पीएमएवाई-जी के तहत जारी निधियां लौटाने का अनुरोध किया गया है।

*****